



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त 1. श्रीमति लक्ष्मी पत्नी स्व० मनीराम 2. श्रीमति कस्तूरी पत्नी सुखराम 3. श्रीकान्त पुत्र स्व० मनीराम 4. लक्ष्मीकान्त पुत्र स्व० मनीराम निवासीगण ग्राम मगरायां थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन द्वारा वादिया के घर में घुसकर मारपीट तोड़फोड़ व गाली-गलौज करना तथा मकान में आग लगा देना जिससे अनाज भूसा आदि सामान जलकर नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई में मु०अ०सं० 1959/15 (वाद संख्या - 226/16) धारा 147/452/436/323/504/427 भादवि में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 07.02.2024 को मा० न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त सभी को धारा 147/452/435/504/427 भादवि में दोषी पाते हुये 05-05 वर्ष का कारावास एवं 9,500-9,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2019 को आरोप विचारण के बाद अभियुक्त को (करीब 05 वर्ष 01 माह) में दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल मोती लाल



कोर्ट पैरोकार राहुल लवानियाँ

@jalaunpolice

jalaunpolice

Jalaun Police